

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़।

आदेश क्रमांक 24/91-2003 S-I (2) दिनांक, चण्डीगढ़ 27.06.2005

हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम-2003 के नियम 33 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए **Ramkrishan Paramhans Sr. Sec. School, Madina Rohtak** को कक्षा 1 से 12वीं तक को सम्बधता हेतू अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय स्थाई मान्यता आदेश क्रमांक 24/91-2003 S-I (2) दिनांक 27.06.2005 में निहित शर्तों तथा समय-समय पर की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करता रहेगा। मान्यता वापिस लिए जाने की अवस्था में यह अनापत्ति प्रमाण पत्र भी वापस लिया समझा जाएगा। विद्यालय का कोड नं० 119/RTK/+2/BOSE/2005 है।

के०के०रवण्डेलवाल
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।

पृष्ठाकन क्रमांक सम

दिनांक, चण्डीगढ़ 27-6-05

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित

है:-

1. प्रबन्ध समिति, **Ramkrishan Paramhans Education Society, Madina(Rohtak)**.
2. सचिव केंद्रीय माध्यमिक विद्यालय बोर्ड, नई दिल्ली।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, Rohtak.
4. मास्टर फाईल।

उप निदेशक विद्यालय-1
कृते: निदेशक सैकण्डरी शिक्षा, हरियाणा,
चण्डीगढ़।